UPEW010013772026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी(पी०ए०)एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV........उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code UP 6462

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–428/2026

जितेन्द्र कुमार पुत्र नारायण दास जाटव, निवासी भोजपुरा, थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी।

.......प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य।

...विपक्षी।

अपराध सं.–106/2014

धारा–323, 504, 506 भा.द.सं.व

धारा–3(1)(X)एससी.एसटी(पी०ए.)एक्ट,

थाना– सहसों, जिला इटावा।

आदेश

दिनांक 09.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार की ओर से जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा सुयोग्य विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी दिनेश कुमार पुत्र भानुप्रताप मो० अग्रवाल, थाना कोतवाली, सदर मैनपुरी का निवासी है। वह अनु० जाति जाटव है, विपक्षीगण स्वर्ण जाति के है। कुँवरसेन, जितेन्द्र कुमार, कौशलेन्द्र सिंह उर्फ बबलू, रघुनन्दन सिंह भदौरिया वादी से रंजिश मानते हैं। घटना दिनांक 28.09.2014 को समय लगभग 11.00 बजे दिन वादी व छोटे पुत्र पातीराम के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। वह जैसे ही चकरनगर

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.09 18:40:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के आगे चम्बल नदी का पुल पार करके पावर हाउस के आगे पहुँचा तो वहाँ पहले खड़े विपक्षीगण, जिनके हाथों में लाठी डन्डे थे, ने उन्हें रोक लिया तथा मॉ बहिन की गालियां देने लगे। वादी ने गाली देने से मना किया तो जातिसूचक गालियों देते हुए सभी ने एक राय होकर घेर कर उन लोगों को लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया जिससे वादी व छोटे के काफी गम्भीर चोटें आयी है। छोटे के छातियों के दाहिने व बायीं भाग में चोटें आयी हैं। चोटे इतनी घातक थी, जिससे वादी की उससे मौत भी हो सकती थी। वादी के शोर पर वहाँ से गुजर रहे मुन्नू सिंह, रामानन्द व अन्य लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी और वादी को बचाया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए बोले कि सालो यदि पुलिस में रिपोर्ट लिखायी तो जान से मार देंगे।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह किसी भी न्यायालय से सिद्धदोष अथवा दण्डित नहीं हुआ है। आरोपित अपराध की प्राथमिकी में हुए विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। उसको दुर्भावना व वैमनष्यता के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्त के रूप में नामित किया एवं कराया गया है। आरोपित अपराध की प्राथमिकी के परिशीलन से अभियोजन कथानक विश्वास प्रेरित नहीं कर रहा है। प्रार्थी अनुसूचित जाति (जाटव) का है इस तथ्य के आलोक में जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थी अनुसूचित जाति (जाटव) का है इस कारण उसके विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम के अधीन विधि अनुसार न तो चालान किया जा सकता है न विचारण ही हो सकता है। उपरोक्त के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत को घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त आजतक अंतरिम जमानत पर था। उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है वह न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व दोषसिद्धि इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह अभियुक्त कुंवर सिंह की जमानत दिनांक 25.03.2023 को स्वीकृत की जा चुकी है। एस.सी./एस.टी (पी०ए०) एक्ट के अलावा अन्य सभी धारायें मजि० न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

6. मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये हुये, मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने के पर्याप्त आधार पाता हूँ।

7. तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को उसके द्वारा 20,000/– रुपये के स्वीय बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दि.09.03.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी०ए०)एक्ट,

इटावा।

JO Code UP 6462